तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
8/2/2022	पत्रावली पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी कार्य सरकार भ्रमण/अवकाश पर है। पत्रावली इल्तुवा होकर दिनांक 22/2/2022 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
22/2/2022	पत्रावली पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी कार्य सरकार [illegible] अवकाश पर है। पत्रावली इल्तुवा होकर दिनांक 19/4/2022 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
वादी प्रतीककुमार 19/04/2022 प्रतिवादी ओमप्रकाश।	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली को फैसल शुमार होकर नम्बर से कम दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बावड़ी

पीठासीन अधिकारीः— श्रीमती सुमित्रा पारीक (आर. ए. एस.)

राजस्व मूल वाद संख्या 33/2021

वादी :— पर्वत कुमार पुत्र श्री सुखराम उम्र 50 वर्ष जाति नाई निवासी लवेरा खुर्द हाल निवास 184 नेहरू कॉलोनी रातानाड़ा जोधपुर।

बनाम

प्रतिवादीगण :—

1. ओमप्रकाश पुत्र श्री सुखराम जाति नाई निवासी लवेरा खुर्द हाल निवास 184 नेहरू कॉलोनी रातानाडा जोधपुर।
2. भूमिधारी जरिये तहसीलदार बावड़ी जिला जोधपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.एक्ट एवं 136 एल.आर.एक्ट

अधिवक्ता :—

1. श्री सोहनलाल चौधरी अधिवक्ता वादी की ओर से।
2. श्री हरेन्द्रसिंह चौधरी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या एक।

—:निर्णयः—

दिनांक 22.04.2022

वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं 136 भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत इस प्रकार प्रस्तुत किया की ग्राम लवेरा खुर्द एवं लवेरा कलां तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में वादी एवं प्रतिवादी की सामलाती कृषि भूमि ग्राम लेवरा कलां के खसरा संख्या क्रमशः 1175, 1451 में भूमि एवं ग्राम लवेरा खुर्द की राजस्व सीमा में स्थित खसरा संख्या क्रमशः 436, 437, 442, 559, 562, 802/24 जिसको आगे वादपत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। सबूत में नकल जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 की प्रमाणित प्रति संलग्न पेश है। वादी की पुश्तैनी कृषि भूमि है प्राचीन समय की बोलचाल की क्षेत्रिय भाषा में लोगों को ओछे नामों से पुकार जाता था, जिससे उनकी खातेदारी कृषि भूमियां उनके बोल चाल वाले नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज कर दिये जाते थे। लेकिन वादी का वास्तविक एवं सही नाम अन्य दस्तावेजों में सही नाम अंकित है, लेकिन वादी को पर्वत कुमार पुत्र श्री सुखराम व पपाराम पुत्र श्री सुखराम एक ही नाम के व्यक्ति है, जिनकों अलग—अलग नामों से जाना व पुकारा जाता है। वादी अपने नाम से किसान कार्ड बनवाने एवं प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु बैंक में गये तब वादी को बैंक अधिकारियों ने बताया की आपके दसतावेज आधार कार्ड, वोटर लिस्ट, बैंक डायरी, जॉब कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, भामाशाह—जनआधार कार्ड में नाम सही है, लेकिन आप की खातेदारी भूमि की जमावन्दी में नाम गलत एवं आधा—अधूरा है जो शुद्धि कराने के बाद ही उक्त सरकारी योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है। जिस पर वादी ने हल्का पटवारी एवं श्रीमान् तहसीलदार महोदय से निवेदन किया, जिस पर श्रीमान् तहसीलदार महोदय ने नाम दुरूस्ती का मामला है, जिसके लिए श्रीमान् उपखण्ड न्यायालय के क्षेत्राधिकार का होने से उसी न्यायालय में कार्यवाही कर दुरूस्त करवाया जा सकता है। जिस पर उक्त वाद पत्र रेकॉर्ड में नाम दुरूस्ती एवं गलत नाम विलोपित कर सही नाम से खातेदार

सहायक कलेक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

काश्तकार घोषित होने हेतु श्रीमान् न्यायालय हाजा के समक्ष उक्त वाद पत्र प्रस्तुत है। इस प्रकार वाद पत्र प्रस्तुत कर सही नाम से खातेदार काश्तकार घोषित करने हेतु प्रस्तुत किया।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया गया। प्रतिवादीगण को समन जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या एक की ओर से अधिवक्ता श्री हरेन्द्रसिंह चौधरी ने वाकालत नाम मय जबाव प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी प्रतिवादी का सगा भाई है। इसलिए वादी का नाम दुरूस्त किया जाता है तो प्रतिवादी को किसी प्रकार की कोई आपति नही इस प्रकार स्वयं स्वीकृति का जबाव प्रस्तुत किया। प्रतिवादी संख्या दो भूमिधारी की ओर से जबाब प्रस्तुत किया गया जिसमें भी भूमिधारी की ओर से वादी का नाम सही दर्ज कर दुरूस्त किया जाता है तो भूमि धारी को कोई आपति नही होने की अनुशंषा की। इस प्रकार पक्षकारान् द्वारा पत्रावली में कार्यवाही प्रस्तुत की जो सामिल मिसल है। वादी के वाद पत्र में किसी भी पद को लेकर प्रतिवादीगण ने कोई एतराज नही किया इसलिए किसी प्रकार का वाद बिन्दु तय नही हुआ है। इसलिए किसी प्रकार की तंनकी कायम होना जाहिर नही होने से तनकी कायम नही की गई। अधिवक्ता वादी प्रतिवादी की बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। उक्त राजस्व वाद स्पष्टतय नाम शुद्धि का प्रतित होता है। जिसमें नामान्तरण से लेकर आज दिन तक जो नाम दर्ज है। वही नाम आज दिन रिकॉर्ड में अमल–दरामद है। इसलिए उक्त प्रकरण 136 भू राजस्व अधिनियम में कवर नही होने से वादी द्वारा उक्त नाम के स्थान पर सही नाम से खातेदार काश्तकार घोषित करने हेतु विधि सम्वत् रूप से प्रस्तुत किया गया है। जो कानूनी प्रक्रिया अनुरूप प्रस्तुत होने से स्वीकार किया जाने योग्य होने से वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं 136 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य है।

–: आदेश :–

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं 136 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है कि ग्राम लेवरा कलां में स्थित वादी एवं प्रतिवादीगण की सहखातेदारी की सामंलाती कृषि भूमि खसरा संख्या 1175, 1451 एवं ग्राम लवेरा खुर्द की राजस्व सीमा में स्थित खसरा संख्या 436, 437, 442, 559, 562 एवं 802/24 भूमि आई हुई है। उक्त कृषि भूमि दर्ज वर्तमान नाम पपाराम पुत्र श्री सुखाराम जो गलत नाम दर्ज है जिसको दुरूस्त कर तहसीलदार बावड़ी को आदेश दिये जाते है कि पर्वत कुमार पुत्र श्री सुखराम के नाम से खातेदार काश्तकार घोषित कर वादी का सही नाम पर्वत कुमार पुत्र सुखराम उक्त नाम राजस्व ऐकर्ड में इन्द्राज (अमल–दरामद) करे। किया जाता है तहसीलदार बावड़ी को पालनार्थ तहरीर जारी हो।

श्रीमती सुमित्रा पारीक
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बावड़ी

आदेश आज दिनांक 22.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

श्रीमती सुमित्रा पारीक
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बावड़ी